# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 304/2013 फैलीराम बनाम कृष्णा देवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 09/01/2026 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं अपील के गुणावगुण पर इकजाई रूप से समायत की गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 574 के 19898/20267 हिस्से में से 3300/20267 का मूल खातेदार हरली द्वारा दिनांक 01/05/2005 को धर्मराज मीणा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दिया था एवं धर्मराज मीणा द्वारा जरिये मुख्त्यारआम अपीलांट को उक्त भूमि 2400/20267 हिस्से का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 21/11/2012 को कर दिया गया तथा शेष 900/20267 भूमि अपने पास रख ली गयी तथा हरली द्वारा ही वर्ष 2005 में अन्य व्यक्तियो को भी अपना हिस्सा विक्रय कर दिया गया एवं रेस्पो. संख्या 1 मूल खातेदार हरली के विधिक वारिस है, ऐसेमें जब प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 574 में मूल खातेदार हरली के ही अधिकार शेष नही रहे थे तो उक्त खसरा नम्बर 574 के सन्दर्भ में रेस्पो. को भी कोई अधिकार होने का प्रश्न ही शेष नही रह जाता है एवं खसरा नम्बर 574 के सन्दर्भ में रेस्पो. को भी कोई अधिकार होने का प्रश्न ही शेष नही रह जाता है एवं खसरा नम्बर 574 के सन्दर्भ में रेस्पो. राजीनामा प्रस्तुत करने के विधिक अधिकार ही नही रखते है। ऐसेमें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की ईजाजत प्रदान की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21/05/2012 को खसरा नम्बर 574 की हद तक निरस्त किया जाकर शेष निर्णय दिनांक 21/05/2012 यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 09/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>जयपुर | |